संख्या : रैव0–बी0–एफ0(10)–92/2010
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग

Diary No. 7122/10
Dt. 12.5.10
Desp.No.
Dt.

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषित

उपायुक्त,
सोलन, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश।

दिनाक शिमला–171002, 2010

विषय :– लाला लीलू राम ऐजूकशनल ट्रस्ट द्वारा स्थापित किए शिक्षा संस्थान हेतु अतिरिक्त भूमि कय करने कि अनमति प्राप्त करनें बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके कार्यालय पत्र संख्या: पेशी/11–1/2010–सोलन दिनांक 20 फरवरी 2010 द्वारा प्राप्त उक्त सोसाईटी के आवेदन/प्रकरण के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश सरकार ने प्रकरण पर विचार करते हुए हिमाचल प्रदेश टैनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज एक्ट, 1972 की धारा 118 की उप–धारा 2 के खण्ड (एच) तथा हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज रूल्ज, 1975 के नियम 38 ए के उप–नियम 3 के खण्ड (ई) के अर्न्तगत शक्तियों का प्रयोग करते हुये कम्पनी के पक्ष में भूमि खसरा सख्या: 8,3/1, 5/1,154/1 रकबा तादादी 19–10 बीधा स्थित मौजा नगाली एंव खसरा सख्या: 2, 3/2 रकबा तादादी 4–08 बीधा स्थित मौजा जाबली एंव खसरा सख्या 2 रकबा तादादी 13–11 बीधा स्थित मौजा नन्दल (कुल रकबा तादादी 37–09 बीधा) तह0 व जिला सोलन में पौलीटैक्नीक एंव होटल मैनेजमैन्ट का शिक्षा संस्थान स्थापित करने हेतु भवन निर्माण के लिए हेतु निम्नलिखित शर्तो पर भूमि कय करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. यह अनुमति इस पत्र के जारी होने से 180 दिन तक मान्य/वैध होगी ।
2. भूमि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिये 2 वर्षो की अवधि के अन्दर किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिये अनुमति दी गई है । यदि भूमि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिये निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया गया तो उक्त भूमि सभी प्रकार से भारमुक्त होकर सरकार में निहित हो जायेगी।
3. जमाबन्दी की टिप्पणी खण्ड में लाल स्याही से इन्द्राज किया जाये कि केता भविष्य में सरकार से किसी भी प्रकार से भूमि आबंटन/लीज/अनुदान के लिये कृषक की परिभाषा में नहीं आयेगा।
4. इस स्वीकृति के अर्न्तगत कय की गई भूमि का केता कृषक कहलाने का अधिकारी नहीं होगा और ऐसा अकृषक व्यक्ति अकृषक ही रहेगा ।
5. कय की जाने वाली भूमि का स्टैम्प शुल्क नियमानुसार देय होगा।
6. इस विभाग के पत्र संख्या रैव0–बी0–एफ0(10)187/2003, दिनांक 29.10.2003 द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित दो वर्षो की समयावधि के भीतर इस विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
7. आवेदक सोसाईटी द्वारा भूमि का पंजीकरण करवाने से पूर्व प्रस्तावित भूमि पर विद्यमान वृक्षों का वन विभाग से मूल्यांकन करवाया जाएगा जिस पर नियमानुसार स्टैम्प शुल्क देय होगा।

भवदीय,

संयुक्त सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या : यथोपरि दिनांक शिमला–2 7/5/2010

प्रतिलिपि:–

1. निदेशाक, तकनीकि एवं औद्योगिक शिक्षा विभाग हि0प्र0 सुन्दरनगर को उनके अनिवार्यता प्रमाण पत्र संख्या एस0टी0वी0 (टीई) (5) 45–अनिवार्याता प्रमाण पत्र/2010–920, दिनांक 13–1–2010, के सन्दर्भ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।
2. लाला लीलू राम ऐजूकशनल ट्रस्ट मारफत अध्यक्ष श्री कैलाश चन्द गोयल निवासी जाबली क्यान डा0 ओछघाट तह0 व जिला सोलन को सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्या : रैव0–बी0–एफ0(10)538/2004
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषित

लाला लीलु राम ऐजुकेशनल ट्रस्ट,
मार्फत श्री कैलाश चन्द,
निवासी एल.आर. इनस्टिचयुट आफ लीगल स्टडीज,
जनदेव तुलसी कम्पलैक्स, राजगढ़ रोड़, सोलन, हि0प्र0

दिनांक शिमला–171002 25 अप्रैल,2005

विषय :– लाला लीलु राम ऐजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा शिक्षा संस्थान खोलने हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे उपायुक्त, सोलन के पत्र संख्या: पेशी/11–2863/04–सोलन, दिनांक 28–9–2004 द्वारा प्राप्त आपके आवेदन प्रकरण के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज एक्ट, 1972 की धारा 118 की उप धारा 2 के खण्ड (एच) तथा हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज रूल्ज,1975 के नियम 38 ए के उप–नियम 3 के खण्ड (ई) के अर्न्तगत शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपके पक्ष में भूमि खसरा नम्बर 71/18/1, 52/18, 22/1, 23/2, 24, 25, 78/56/30, 88/50/33, 91/34, 35, 36, 38/2, 39/2, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 50/44, 51/44, 45, 46, 47, 48/2, 49 रकबा तादादी 51–07 बीघा स्थित मौजा जाबली, तहसील कसौली, जिला सोलन में शिक्षा संस्थान निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों पर भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :

1. यह अनुमति इस पत्र के जारी होने से 180 दिन तक मान्य/वैध होगी ।
2. भूमि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिये 2 वर्षों की अवधि के अन्दर किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिये अनुमति दी गई है । यदि भूमि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिये निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया गया तो उक्त भूमि सभी प्रकार से भारमुक्त होकर सरकार में निहित हो जायेगी ।
3. जमाबन्दी की टिप्पणी खण्ड में लाल स्याही से इन्द्राज किया जाये कि क्रय की गई भूमि का केता भविष्य में सरकार से किसी भी प्रकार से भूमि आबंटन/लीज/अनुदान के लिये कृषक की परिभाषा में नहीं आयेगा ।
4. इस स्वीकृति के अर्न्तगत क्रय की गई भूमि का केता कृषक कहलाने का अधिकारी नहीं होगा और ऐसा अकृषक व्यक्ति अकृषक ही रहेगा ।
5. क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की स्टैम्प शुल्क वर्तमान बाजारी कीमत पर केता से वसूल की जायेगी ।

भवदीय,

उप सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या : यथोपरि दिनांक शिमला–2 25 अप्रैल,2005

प्रतिलिपि उपायुक्त, सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वह इस विभाग के पत्र संख्या रैव0–बी0–एफ0(10)187/2003, दिनांक 29.10.2003 द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित दो वर्षों की समयावधि के भीतर इस विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ।

उप सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।